

18.06.2024 पत्रावली पेश हुई।

वादीगण एवं अधिवक्ता वादीगण अनुपस्थित।
रुठ-रुठ कर तीन बार आवाज लगावाई
गई बवजूत इसके कोई उपस्थित नहीं।
इससे प्रतीत होता है कि वादीगण एवं
अधिवक्ता वादीगण अपने दावे की लेकर
गम्भीर नहीं हैं अतः दाव अदम हाजिरी
अदम पैरवी इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुभार
लेकर नम्बर से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो। (पुनी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर